

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

मु0अ0सं0- 266/20 **धारा** 457/380 भादवि **दिनांक घटना:- 18/19-10-2020**
गिरफ्तारी:- 23/11/2020 **समय** 07.20 बजे **गिरफ्तारी स्थल:-** ग्राम उगरा वाला पुल

(घर का भेदी निकला चोर ।)

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर, अवैध शस्त्रों व चोरी गये 95,000/- रुपये की बरामदगी सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 18/19-10-2020 को वादिया श्रीमती साजिया पत्नी मुरसलीम निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर अज्ञात चोरो द्वारा अपने मकान में नगदी व जेवर चोरी के संबंध में लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 266/2020 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात में पंजीकृत कराया था ।

मेरे द्वारा उक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियोग के अनावरण हेतु थाना कोतवाली देहात पुलिस को दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 23.11.2020 को समय 07.20 बजे उक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त 1- इमरान पुत्र जफर निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2- अभियुक्त फरमान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम चक गौवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर को आधार कार्ड, अवैध शस्त्रो व 95,000/- रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये सानू पुत्र लतीफ व अहमद पुत्र इन्तजाम की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1- इमरान पुत्र जफर निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- फरमान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम चक गौवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

फरार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1- सानू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम बागडी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2- अहमद पुत्र इन्तजाम निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस
- 2- 01 चाकू नाजायज
- 3- 95,000/- रुपये
- 4- 01 आधार कार्ड (वादिया के भाई हैदर अली का)

थाने पर पंजीकृत अभियोगों का विवरण

- 1- मु0अ0सं0 312/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इमरान उपरोक्त ।
- 2- मु0अ0सं0 313/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम फरमान उपरोक्त ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त इमरान व फरमान ने अलग अलग पूछताछ पर बताया कि हम दोनों अपने अन्य साथी सानू और अहमद के साथ ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात के साजिया के घर में चोरी की थी । हमें अहमद ने बताया था कि मेरे बहनों मुरसलीम के घर में काफी रुपया, पैसा व जेवरात हैं । घर में केवल दो महिलायें व एक बच्ची रहती है। माल कमरे में संदूक में रखा मिलेगा । हम चारों ने मिलकर अहमद के घर पर उसी दिन शराब पी और करीब रात 12 बजे अहमद ने हमें साजिया के घर में घुसाया था और कहाँ था कि मैं घर का आदमी हूँ अगर घर में गया तो सब मुझे पहचान लेंगे । मैं घर के बाहर खड़े होकर निगरानी करता हूँ और योजनाबद्ध तरीके से हम दोनों

शानू के साथ घर में घुस गये । हम लोगों ने साजिया के घर के अन्दर रखे सन्दूक में से दो जोड़ी कुन्डल, चार जोड़ी पाजेब, तीन जोड़ी बिछुवा व दो लॉग तथा 3 लाख रुपये के साथ एक आधार कार्ड व एक पासपोर्ट भी चोरी किया था। बाद में हम लोगों ने चोरी किये गये सामान का बंटवारा कर लिया । जिसमें इमरान ने बताया कि मुझे (इमरान) 70,000/- रुपये व फरमान को 25000/- रुपये मिले थे । जो हमने पुलिस को बरामद करा दिये हैं । बाकी जेवर, रुपये व सामान शानू व अहमद के पास हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास-

इमरान पुत्र जफर निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

1. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर,
2. मु0अ0सं0 312/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

फरमान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम चक गौवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर,
2. मु0अ0सं0 313/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार,
- 2- उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार नागर,
- 3- उ0नि0 श्री मियांजान खाँ,
- 4- आरक्षी सौरभ यादव
- 5-आरक्षी सनुज कुमार ।

पुलिस टीम के सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार राशि:- 10,000/- रुपये



प्रेस नोट:- थाना नांगल

मु0अ0स0- 210/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मंडावली
गिरफ्तारी:- 23/11/2020 समय 05.00 बजे गिरफ्तारी स्थल:- मौजम्मपुर तिराहा थाना मंडावली

थाना नांगल व मण्डावली पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये थाना मण्डावली के वांछित 15000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त शहबाज पुत्र साबिर गिरफ्तार

मेरे द्वारा जनपद में अपराध, अपराधियों व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना नांगल व मण्डावली पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये थाना मण्डावली के मु0अ0स0 210/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित 15000/- रुपये का ईनामी अपराधी शहबाज पुत्र साबिर नि0 नया गांव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 23.11.2020 में मौजम्मपुर तिराहा थाना मण्डावली से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित चल – अचल संपत्ति की जानकारी कर जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अभियुक्त शहबाज एक शातिर किस्म का चोर हैं। जो अपने दो अन्य साथियों 1- फईम पुत्र अनीस निवासी नया गांव मण्डावली 2- सुबोध पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम मारुफपुर थाना हीमपुर दीपा के साथ मिलकर गैंग बनाकर चोरी करते हैं। जिनके द्वारा पूर्व में थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 07-02-2020 को वादी श्री शिवराज सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम महावतपुर दलपत उर्फ मझाडी थाना मण्डावली के घर से रात्री में चोरी की थी। जिसमें हम सभी ने दो सोने की चैन, एक जोड़ी झुमकी, दो अंगूठी, एक जोड़ी पाजेब चाँदी, 03 चाँदी के सिक्के, 03 घडी व दो माबईल चोरी किये थे। थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये तीनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया जा चुका है। इसके दोनो साथी फईम व सुबोध पूर्व में ही जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता

शहबाज पुत्र साबिर निवासी नया गांव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 शहबाज उपरोक्त।

मु0अ0स0 210/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 123/2020 धारा 380/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 124/20 धारा 380/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 125/20 धारा 380/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 128/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम ---

थाना नांगल पुलिस--- थाना नांगल प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार पाचांल , उ0नि0 विपिन कुमार , का0 1187 अमित कुमार , का0 424 अनुज कुमार , का0 चालक 875 ब्रजेश कुमार

थाना मण्डावली पुलिस --- थानाध्यक्ष श्री हिमांशु चौहान , उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार का0 156 विपिन कुमार , का0 441 आदेश कुमार , का0 905 राजीव कुमार , का0 1785 प्रदीप कुमार , का0 चालक 1147 सौरभ कुमार



प्रेस नोट:- 23/11/2020 थाना शिवाला कलां

मु0अ0सं0- 210/20 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम **दिनांक घटना:-** 22.11.2020
गिरफ्तारी:- 23/11/2020 समय 09.10 बजे **गिरफ्तारी स्थल:-** धनौरा नूरपुर मार्ग ढाकी मोड़

थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा दहेज हत्या का अभियुक्त सजाकत पुत्र मकसूद को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 22-11-2020 को वादी श्री जनाबी पुत्र यासीन निवासी ग्राम पतेई ऐमन थाना गजरौला जिला अमरोहा द्वारा थाना शिवाला कलां पर लिखित तहरीर दी कि मेरी पुत्री श्रीमती दिलशाना उम्र 21 वर्ष की शादी मार्च 2019 में सजाकत पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हिसामपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर के साथ हुयी थी । शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग कर परेशान किया जाता था । आज मेरी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर ससुराल थाना शिवाला कलां जिला बिजनौर के विरुद्ध मु0अ0सं0 210/20 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 के पंजीकृत कराया था ।

मेरे द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चाँदपुर व थाना प्रभारी शिवाला कलां को अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को थाना शिवाला कलां पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे नामित वांछित अभियुक्त सजाकत पुत्र मकसूद नि0 ग्राम हिसामपुर थाना शिवाला कलां जिला बिजनौर को त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त का मोबाईल बन्द होते हुये भी पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर धनौरा नूरपुर मार्ग ढाकी मोड़ से गिरफ्तार किया गया है । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास जारी है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

सजाकत पुत्र मकसूद नि0 ग्राम हिसामपुर थाना शिवाला कला जिला बिजनौर ।

➤ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0210/20 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना शिवाला कला जिला बिजनौर ।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.श्री गजेन्द्रपाल सिंह (क्षेत्राधिकारी चांदपुर)
- 2.थानाध्यक्ष सनोज प्रताप सिंह थाना शिवाला कला
- 3.उ0नि0 श्री मानचन्द थाना शिवाला कला
- 4.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना शिवाला कला
- 5.का0 194 पुष्पेन्द्र कुमार थाना शिवाला कला
6. का0 1362 सुरेन्द्र चौहान थाना शिवाला कला



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 23.11.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त अखलाक उर्फ शट्टल पुत्र शब्बीर निवासी दयाल वाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 318 /20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 23.11.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/20 धारा 34, 323, 504, 506, 307 भादवि से संबंधित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दयालवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक नाजायज तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 317/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



थाना अफजलगढ:- आज दिनांक 23.11.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकुल पुत्र रूपचंद निवासी ग्राम झाडूपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना रेहड:- आज दिनांक 23.11.2020 को थाना रेहड पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- भगवंत सिंह पुत्र बख्शीश सिंह 2- बलविन्दर पुत्र कुंदन सिंह निवासीगण थाना रेहड जनपद बिजनौर को 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 144/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 145/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक-23.11.2020



आज दिनांक 23.11.2020 को थाना धामपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा आर0एस0एम0 इंटर कॉलेज मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।



आज दिनांक 23.11.2020 को जिला एंटी रोमियो प्रभारी व थाना कोतवाली शहर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा राजकीय पॉलिटैक्निक कॉलेज बिजनौर मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।



आज दिनांक 23.11.2020 को थाना शेरकोट पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा महामाया राजकीय महाविधालय शेरकोट में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया ।



आज दिनांक 23.11.2020 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।





आज दिनांक 23.11.2020 को थाना रेहड पुलिस द्वारा गीता देवी इंटर कॉलेज उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।



